

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 3/2023-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2023

सा.का.नि. (अ)- माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15), की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,

I. अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ पान मसाला" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"1क.	2106 90 20	पान मसाला, उपरोक्त क्रम संख्या 1 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	60%";

(iii) क्रम संख्या 5 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(iv) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5क.	2401	अनिर्मित तम्बाकू (बिना चूने की ट्यूब के) - एक ब्रांड नाम वाला, उपरोक्त क्रम संख्या 5 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	71%";

(v) क्रम संख्या 6 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"6क.	2401	अनिर्मित तम्बाकू (चूने की ट्यूब के साथ) - एक ब्रांड नाम वाला, उपरोक्त क्रम संख्या 6 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	65%";

(vii) क्रम संख्या 7 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, शब्द "ब्रांड नाम" के बाद, शब्द "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" डाला जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"7क.	2401 30 00	किसी ब्रांड नाम वाला तंबाकू का कचरा, उपरोक्त क्रम संख्या 7 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	61%";

(ix) क्रमांक 19 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(x) क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"19क.	2403 11 10	'हुक्का' या 'गुडाकू' तम्बाकू, जिसका ब्रांड नाम हो, उपरोक्त क्रम संख्या 19 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	72%";

(xi) क्रम संख्या 20 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xii) क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“20क.	2403 11 10	'हुक्का' या 'चिलम' पीने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तम्बाकू, जिसे आमतौर पर 'हुक्का' तम्बाकू या 'गुडाकू' के नाम से जाना जाता है, कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 20 के तहत आने वाले सामान के अलावा	17%”;

(xiii) क्रम संख्या 21 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xiv) क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“21क.	2403 11 90	अन्य जल पाइप धूम्रपान तम्बाकू, जिस पर कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 21 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	11%”;

(xv) क्रम संख्या 22 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“22क.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, उपरोक्त क्रम संख्या 22 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	290%”;

(xvii) क्रम संख्या 23 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xviii) क्रम संख्या 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

“23क.	2403 19 90	अन्य धूमपान तम्बाकू जिसका ब्रांड नाम हो, उपरोक्त क्रम संख्या 23 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	49%”;
-------	------------	--	-------

(xix) क्रम संख्या 24 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xx) क्रम संख्या 24ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"24क.	2403 19 90	अन्य धूमपान तम्बाकू, जिस पर कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 24 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	11%
24ख.	2403 91 00	घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ एक ब्रांड नाम वाला "होमोजेनाइज्ड" या "पुनर्गठित" तंबाकू	0.36R प्रति यूनिट
24ग.	2403 91 00	"होमोजेनाइज्ड" या "पुनर्गठित" तंबाकू, एक ब्रांड नाम वाला, उपरोक्त क्रम संख्या 24ख के तहत आने वाले सामान के अलावा	72%”;

(xxi) क्रम संख्या 26 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "चबाने वाला तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना), घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxii) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“26क.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूने की नली के बिना), उपरोक्त क्रम संख्या 26 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	160%”;

(xxiii) क्रमांक 27 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "चबाने वाला तंबाकू (चूने की ट्यूब के साथ), घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxiv) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“27क.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूने की नली के साथ), उपरोक्त क्रम संख्या 27 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	142%”;

(xxv) क्रमांक 28 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "फिल्टर खैनी, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xxvi) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"28क.	2403 99 10	फिल्टर खैनी, उपरोक्त क्रम संख्या 28 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	160%";

(xxvii) क्रमांक 29 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ चबाने वाले तम्बाकू युक्त तैयारी " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(xxviii) क्रम संख्या 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"29क.	2403 99 20	चबाने वाले तम्बाकू युक्त तैयारी, उपरोक्त क्रम संख्या 29 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	72%";

(xxix) क्रम संख्या 30 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "जर्दा सुगंधित तंबाकू, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xxx) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"30क.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तम्बाकू, उपरोक्त क्रम संख्या 30 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	160%";

(xxxii) क्रम संख्या 31 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "स्नफ़, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xxxiii) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"31क.	2403 99 40	स्नफ़, उपरोक्त क्रम संख्या 31 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	72%";

(xxxiii) क्रम संख्या 32 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ स्नफ़ युक्त तैयारी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(xxxiv) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"32क.	2403 99 50	स्नफ़ युक्त तैयारी, उपरोक्त क्रम संख्या 32 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	72%";

(xxxv) क्रम संख्या 33 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ तम्बाकू अर्क और सार" शब्द डाले जाएंगे;

(xxxvi) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"33क.	2403 99 60	तम्बाकू अर्क और सार, जिसका ब्रांड नाम है, उपरोक्त क्रम संख्या 33 के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा	72%";

(xxxvii) क्रम संख्या 34 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, "ब्रांड नाम" शब्दों के बाद, "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" शब्द डाले जाएंगे;

(xxxviii) क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"34क.	2403 99 60	तम्बाकू अर्क और सार, जिस पर कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 34 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	65%";

(xxxix) क्रम संख्या 35 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तंबाकू कट, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xl) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“35क.	2403 99 70	तंबाकू कट, उपरोक्त क्रम संख्या 35 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा अन्य	20%”;

(xli) क्रम संख्या 36 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा', घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xlii) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"36क.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा', उपरोक्त क्रम संख्या 36 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	204%”;

(xliii) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“36ख.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिसका ब्रांड नाम हो, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ	0.43R प्रति यूनिट”;

(xliv) क्रम संख्या 36ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“36ग.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिसका ब्रांड नाम है, उपरोक्त क्रम संख्या 36ख के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	96%
36घ.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिस पर कोई ब्रांड नाम नहीं है, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ	0.43R प्रति यूनिट
36ड.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है, उपरोक्त क्रम संख्या 36घ के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा	89%”;

(xlv) क्रम संख्या 52बी के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "मोटर वाहन जिन्हें यूटिलिटी वाहन के रूप में जाना जाता है, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसमें स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी), मल्टी यूटिलिटी वाहन (एमयूवी), बहुउद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) या क्रॉस-ओवर यूटिलिटी वाहन (एक्सयूवी) सम्मिलित हैं, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो; लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी और उससे अधिक हो।

स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ग्राउंड क्लीयरेंस का अर्थ है भार-रहित स्थिति में ग्राउंड क्लीयरेंस" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

II. स्पष्टीकरण में, खंड (4) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्: -

“(5) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में "घोषित खुदरा बिक्री मूल्य" शब्द का अर्थ ऐसे सामानों की खुदरा बिक्री मूल्य होगा, जिसे कानूनी मेट्रोलाजी अधिनियम, 2009 (2010 का 1) या उसके तहत बनाए गए नियमों या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुपालन में घोषित किया जाना आवश्यक है”;

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 को लागू होगी ।

[फाइल संख्या 190354/133/2023-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 2/2023-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 31 मार्च, 2023, सा.का.नि. 253 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।